

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

निविदा सूचना


क्रमांक / लो.क.वि. / जोन-1 / 100

भिलाई, दिनांक 3/5/2021

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निर्माण विभाग में ई-रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत टेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 एवं सङ्क एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से लागू एवं अधितन संशोधन के आधार पर कम / अधिक एवं आयटम दर पर निम्नांकित कार्य दिनांक 24.05.2021 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 25.05.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 20.05.2021 को सायं 5:30 बजे तक निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	टेकेदार की श्रेणी
1	जोन-01 अंतर्गत गौठान में कम्पोस्ट शेड का पैटिंग कार्य।	1.41	2000.00	300.00	15 दिन	निर्माणी संस्थान अथवा NGO समूह

नियम एवं शर्तें:- 1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता /जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित टेकेदार के नाम से तथा कार्य के लिये निर्माणी संस्थान अथवा NGO समूह पंजीयन, पेनकार्ड की सत्यापित प्रति लिफाफा "के" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु बाल्य नहीं रहेगा। 7. निगम क्षेत्र के स्त्रों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5 % की कटौती की जावेगी। 8. शेड को एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से दरे प्रस्तुत करें नहीं किये जाने पर निविदा फार्म निरस्त किया जावेगा। 9. शासन के आदेश कमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि एफ.डी.आर. के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि / निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि / खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. प्रत्येक कार्य के लिए पुथक-पुथक धरोहर राशि जमा करें एवं समयोजन की कार्यालयी नहीं होगी। 13. शासन के निर्देशानुसार G.S.T. एवं अन्य कर सम्पत्ति रहेंगे। 14. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक एजेंसी प्रत्येक कार्य के लिए राशि रु. 100.00 स्टाम्प एफिडेविट सल्लन करना अनिवार्य होगा। 15. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मात्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई नेहरु नगर जोन-01, नगर निगम भिलाई की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in एवं चीप्स की वेबसाइट eproc.cgstate.gov.in से देखी जा सकती है।


 जोन आयुक्त
 जोन-01
 नगर पालिक निगम,
 भिलाई